प्रेस नोट

थाना खेकडा   दिनाँक 24.04.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 113/26 धारा 309(4)/126(2)/3(5)/317(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लूट के 1890 रुपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13-04-2026 को थाना खेकड़ा पर वादी गय्यूर पुत्र जमील निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. अक्षय कुमार पुत्र नामालूम, 2. नीरज कुमार पुत्र नामालूम एवं 3. दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी गाड़ी को रुकवाकर उससे जबरन ₹15,000 रुपये लूट लिए गए तथा ₹30,000 रुपये अभियुक्त अक्षय कुमार द्वारा अपने मोबाइल में डलवा लिए गए। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 - 113/26 धारा- 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियोग में धारा 126(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 113/26 धारा 309(4)/126(2)/3(5)/317(2) बीएनएस में वाछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लूट के 1890 रुपये नगद बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीरज पुत्र विजय निवासी सोनिया विहार थाना खजूरी दिल्ली।

बरामदगी का विवरण -

- लूटे हुए 1890 रुपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राहुल यादव थाना खेकडा।
2-उ0नि0 श्री सुजित कुमार थाना खेकडा।
3-है0का0 669 दीपक कुमार थाना खेकडा।
4-का0 854 बिरजू महाराज थाना खेकडा।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 24.04.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 249/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किए हुए 500 रुपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.04.2026 को वादी अजय पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द निवासी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त सलमान पुत्र शौकत निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत उसकी दुकान का गल्ला खोलकर उसमें से 500/- रुपये को लेकर भागा तथा वादी व उसके साथियों द्वारा उसे पकड़ लिया गया। उक्त अभियुक्त को वादी द्वारा जनता की मदद से थाना कोतवाली बागपत पर लाया गया एवं थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी किए 500/- रुपये बरामद हुए। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 249/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सलमान पुत्र शौकत निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- **500 रुपये नगद ।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-का0 983 राहुल कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-कम्प्यूटर आपरेटर वरुण कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।

3-हो0गा0 264 रजेदीन थाना कोतवाली बागपत ।